न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर राज.

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या - 20/2019
दायरा दिनांक - 21.06.2019
निर्णय दिनांक - 24/2/21

उनवान

1. पूर्ण पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी शिवनगर तन हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर

-- **प्रार्थी**

बनाम

1. तहसीलदार बहैसियत भू-अभिलेख अधिकारी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर

-- **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. प्रार्थी - श्री विष्णु दत्त शर्मा एड.
2. अप्रार्थी - पैरोकार सरकार

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1137 रकबा 0.09 हैक्ट., खसरा नम्बर 1138 रकबा 1.70 हैक्ट., साबिक खसरा नम्बर 903 से तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.38 साबिक खसरा नम्बर 904 वाके मौजा शिवनगर तन हरसौरा से दौराने बन्दोवस्त संवत 2060 में बने है। प्रार्थी द्वारा साबिक खसरा नम्बर 903, 904 जरिये रजि. बयनामा दिनांक 25.07.2002 के विक्रेतागण रामजीलाल, प्रकाश वगै. से क्रय किया था जिसका इन्तकाल संख्या 840 व 841 स्वीकार होकर अमल जमाबन्दी संख्या 2055 में कर दिया गया। हाल बन्दोबस्त संवत 2060 में कर्मचारीगण बन्दोबस्त द्वारा दौराने वन्दोवस्त बनाते समय प्रार्थी/क्रेता का नाम हटा दिया तथा विक्रेतागण का नाम ही अंकित कर दिया जो एक लिपिकीय भूल है और आज दिन तक चली आ रही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल रिकार्ड में विक्रेतागण रामजीलाल, प्रकाश वगै. का गलत रूप से दर्ज नाम को कम कर प्रार्थी का नाम खातेदारान दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र 136 एलआर...

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि विक्रेतागण का नाम कलमजन कर प्रार्थी का नाम विवादित आराजी में दर्ज किया जाना उचित है तथा नामान्तकरण संख्या 195 द्वारा प्रकाश पुत्र धन्शी हिस्सा 1/54 का बेचान कर दिया गया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट में प्रार्थी की जाति गुर्जर दर्ज की हुई है जबकि बयनामा में उसकी जाति माली दर्ज है तथा तहसीलदार बानसूर के जवाब अनुरूप विक्रेता प्रकाश पुत्र धन्शी ने अपने हिस्से में 1/54 भाग दिगर व्यक्ति को बेचान भी कर दिया है जिसका नामान्तकरण संख्या 195 स्वीकार हो चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट की जद में नही आने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर अलवर

आज दिनांक 24/2/21 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner